

प्रेस नोट

दिनांक 13.11.2020 को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर/लुटेरे कृष्ण कुमार वर्मा उर्फ सनी, शहजादे खान व शाहिद खान गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/लूट की 02 अदद पीली धातु की बटननुमा गोली, 01 सफेद धातु की सिल्ली व रु0-11,000/- नगद बरामद।

आज दिनांक 13.11.2020 को थाना चेतगंज के उ0नि0 अनिल कुमार साहू चौकी प्रभारी तेलियाबाग मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व त्यौहार के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में चौकाघाट एम0जी0 हेक्टर शोरूम के पास मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0सं0-203/2020 धारा-379/411/413/414 भादवि से सम्बन्धित चोरों का गिरोह चौकाघाट लकडीमण्डी फ्लाईओवर के पास स्थित नाले के बगल में एक आटो रिक्शा में बैठकर चोरी का माल आपस में बाँटने हेतु इकट्ठा हुए हैं, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के चौकाघाट लकडीमण्डी फ्लाई ओवर के पास पहुँचकर मुखबिर की निशानदेही पर नाले के बगल में खड़ी आटो रिक्शा में बैठे व्यक्तियों में से 03 व्यक्तियों को को एकबारगी दबिश देकर पकड़ लिया गया तथा 04 व्यक्ति (समीर खान, सन्तोष हरिजन, राकेश गुप्ता उर्फ गुड्डू तथा पिन्टू खान) अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गये। पकड़ गये व्यक्तियों की तलाशी ली गयी तो उनके पास से 02 अदद पीली धातु की बटननुमा गोली वजन-09 ग्राम 990 मिलीग्राम, 01 सफेद धातु की सिल्ली वजन 1 किलो 230 ग्राम व रु0-11,000/- नगद बरामद हुए। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तगण कृष्ण कुमार वर्मा उर्फ सनी, शहजादे खान व शाहिद खान को समय करीब 02.15 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ करने पर कृष्ण कुमार वर्मा ने बताया कि मैं पेशे से सोनार हूँ तथा मेरी सोने चाँदी की दुकान मंडुवाडीह में है। मेरे पास समीर खान, राकेश गुप्ता उर्फ गुड्डू व सन्तोष हरिजन चोरी तथा छीने गये जेवरात लाते थे जिसे मैं गला देता था तथा उसका हिस्सा बराबर-बराबर सभी में बंटता था। मेरे पास से जो चाँदी की सिल्ली है तथा जो सोने की बटन है वह इन्ही लोगो द्वारा कही से छीनी व चोरी की गयी है।

पूछताछ में शहजादे खान ने बताया गया कि जो 5,000/- रुपये मेरी जेब से मिले हैं, वो दिनांक 05.11.2020 को एक व्यापारी के बैग से हम लोगों द्वारा मिलकर उसी आटो में बैठकर चौकाघाट से गोदौलिया ले जाते समय रास्ते में कुल 50,000/- रुपये चोरी किया गया था, उसी में से यह मेरे हिस्से का बचा हुआ पैसा है तथा मेरे पास से मिला सोने का गलाया हुआ बटन दिनांक 30.10.2020 को समय करीब 09.30 बजे रात्रि के समय चौकाघाट पावर हाउस के पास से मेरे तथा राकेश गुप्ता द्वारा एक टोटो में जा रही महिला के छीने गये मंगलसूत्र का गलाया हुआ हिस्सा है।

पूछताछ में शाहिद खान ने बताया कि उसके पास से बरामद 6,000/- हजार रुपये दिनांक 05.11.2020 वाली घटना में चोरी किये गये 50,000/- रूपये में से मेरा हिस्सा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. कृष्ण कुमार वर्मा उर्फ सनी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम शिवदासपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र 30 वर्ष।
2. शहजादे खान पुत्र मुनव्वर खान निवासी ग्राम कोईराजपुर हरहुआ बाजार थाना बडागांव वाराणसी उम्र 25 वर्ष।
3. शाहिद खान पुत्र स्व. शमीम निवासी ग्राम धमरिया थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद पीली धातु की बटननुमा गोली वजन-09 ग्राम 990 मिलीग्राम संबंधित मु0अ0सं0 192/2020 धारा 392/411/413/414 भादवि थाना चेतगंज वाराणसी।
2. 01 सफेद धातु की सिल्ली वजन 1 किलो 230 ग्राम अन्तर्गत धारा 41/411/413/414 भादवि
3. रू0-11,000/- नगद मु0अ0सं0 203/2020 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना चेतगंज वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 अनिल कुमार साहू-चौकी प्रभारी तेलियाबाग, उ0नि0 अमित कुमार सिंह-चौकी प्रभारी नाटी इमली, उ0नि0 मोहम्मद साबिर, उ0नि0 विनोद कुमार विश्वकर्मा, मु0आ0 केशव प्रसाद, का0 संतोष यादव, का0 मुकेश यादव, का0 सचिन सिंह, का0 गौरव कुमार, का0 अमित कुमार सिंह व का0 राजबहादुर यादव थाना चेतगंज, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

सेना भर्ती के नाम पर लाखों रूपये की ठगी करने वाला शातिर ठग लल्लन सिंह यादव थाना सिगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार

दिनांक 12.11.2020 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 215/2020 धारा 419/420/467/468/471/406/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त लल्लन सिंह यादव पुत्र अयोध्या यादव निवासी- 172 श्रीनगर कालोनी फेज-3 अख्ता पहडिया थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी को लहुराबीर चौराहा थाना चेतगंज से समय करीब 15.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ में अभियुक्त लल्लन सिंह यादव ने बताया कि मैंने सेना में भर्ती व नियुक्ति कराने के नाम पर कई लोगों से पैसा लिया था और लोगो को फर्जी अभिलेख तैयार कर सेना से सम्बन्धित दस्तावेज कॉल लेटर, नियुक्ति पत्र व अन्य अभिलेख उपलब्ध कराता रहा हूँ। इसी क्रम में मैंने दीपक कुमार पुत्र अनिल कुमार नि0- शिक्षक कालोनी वजीरगंज जनपद गया बिहार से भी सेना नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी काल लेटर व नियुक्त पत्र देकर 28 लाख 50 हजार रुपया लिया था। इस कार्य को मैंने मनीभूषण पाण्डेय पुत्र ओम प्रकाश निवासी- हजौली थाना फेफना बलिया के साथ मिलकर किया था और जो रुपया मिला था उसे आधा-आधा आपस में बाँट लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- लल्लन सिंह यादव पुत्र अयोध्या यादव निवासी- 172 श्रीनगर कालोनी फेज-3 अख्ता पहडिया थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- व0उ0नि0 अमित मिश्रा, हे0का0 दिनेश सिंह, का0 संजय चौधरी, का0 जितेन्द्र सिंह व का0 राकेश सिंह थाना सिगरा जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 13.11.2020 को थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 636/2020 धारा 354(क)/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप तिवारी उर्फ बासुड़ी पुत्र कृष्णनन्द तिवारी निवासी ब्लाक नं0 03 कांशीराम आवास थाना शिवपुर उम्र 35 वर्ष को पुरानी चुंगी के पास से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- संदीप तिवारी उर्फ बासुड़ी पुत्र कृष्णनन्द तिवारी निवासी ब्लाक नं0 03 कांशीराम आवास थाना शिवपुर उम्र 35 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 विनोद कुमार पटेल, का0 महेन्द्र यादव व का0 सोहन सोनकर थाना शिवपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 93/2020 दिनांक: नवम्बर, 13/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 13-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 35 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *12 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये *कुल 601 व्यक्तियों से रु0-17,700/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1445 वाहनों का चालान, 07 वाहनों को सीज तथा 86 वाहनों से रु0-80,500/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 13.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 147 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5215 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 1016 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 165 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1322 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 के विरुद्ध 34 पुलिस एक्ट की कार्यवाही, 01 के विरुद्ध 290 भादवि की कार्यवाही, 05 के विरुद्ध एमवी एक्ट में चालान, 01 के विरुद्ध 294 आईपीसी की कार्यवाही, 13 के विरुद्ध 151 सीआरपीसी में चालान, 70 मनचलों को हिदायत एवं 98 मनचलों सख्त चेतावनी दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।